बाल एवं किशोर श्रम प्रथा का उन्मूलन एवं पुनर्वास हेतु श्रम विभागीय सन्दर्भ की शर्तें (T.O.R.)

1.1 दृष्टिकोण (विजन) और उद्देश्य:-

सभी कार्यो में बाल श्रम और खतरनाक कार्यो में किशोर श्रम को पूर्णत: समाप्त करना और किशोर श्रम का विनियमन करना।

(क) बाल श्रमिकों और खतरनाक कार्यो में लगे किशोर श्रमिकों को रोकने के लिए ग्राम स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक प्रभावी कार्य योजना तैयार करना।

(ख) बाल श्रमिकों और खतरनाक कार्यो में लगे किशोर श्रमिकों की पहचान, बचाव और पुनर्वास के लिए तंत्र तैयार करना।

(ग) मनोरंजन संबंधी उद्योगों और खेल-कूद संबंधी क्रियाकलापों में कार्यरत बच्चों के विनियमन के लिए तंत्र स्थापित करना।

(घ) बाल श्रमिकों और खतरनाक कार्यो में लगे किशोर श्रमिकों के सभी मामलों में कठोर जांच सुनिश्चित करना, ताकि अपराधियों के विरूद्ध अभियोजन को बल मिल सकें।

(ड) स्टेकहोल्डरों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारण करके स्टेकहोल्डरों द्वारा समन्वित ओर समरूपी कार्यवाही सुनिश्चित करना और इस तरह पूरे देश में बाल श्रम के उलंघन के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही की मानकीकरण सुनिश्चित करना।

(च) जिला, राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग और उत्तरदायी तंत्र विकसित करना।

2. बाल और किशोर श्रमिक कौन है?

14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को यदि किसी व्यवसाय या किसी प्रक्रिया में नियोजित या कार्यरत पाया जाता है, तो वह बाल श्रम है। किसी भी प्रकार के व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कार्य अथवा नियोजन, प्रतिबंधित है और इसके लिए बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अधिन दंड का प्रावधान है।

2.2 विधान में क्या अपवाद उपलब्ध है?

अपवादों की तालिका

	स्थिति	स्थिति की परिभाषा	ऐसे अपवाद/स्थिति निम्नलिखि शर्तो के अधीन होगी
क्रमांक	यदि बच्चा अपने परिवार या परिवार के उद्यम में सहायता करता है	i.बच्चे का परिवार -माता -पिता - भाई या बहिन - माता का जैविक भाई या बहिन	i. जो सहायता की गई है, वह ऐ खतरनाक व्यवसायों या प्रक्रियाओं न हो, जो इस अधिनियम द अनुसूची के भाग-क या भाग-ख सूचीबद्ध हो।

		- पिता का जैविक भाई या बहिन <u>अथवा</u> 1. परिवार का उद्योग - कार्य - व्यवसाय - विनिर्माण या कारोबार जो बच्चे के परिवार के सदस्यों द्वारा निष्पादित किया जाता हो <u>और</u> iii. सहयोग से तात्पर्य है: केवल इस तरीके से परिवार की सहायता या सहयोग करना, जो निम्नलिखित से संबंधित न हो: - कोई धंधा, कार्य या व्यवसाय, विनिर्माण या कारोबार - या बच्चे अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को किसी अदायगी या हितलाभ के लिए हो, जो बच्चे पर नियंत्रण रखता हो। - और जो बच्चे की संवृद्धि, शिक्षा और समग्र विकास को हानि पहुंचाता हो।	ii. इसमें कोई ऐसा क्रियाकलाप शामिल नहीं होगा, जो बच्चे या उसके परिवार या परिवार के उद्यम के लिए लाभकारी हो। iii. इसमें कोई ऐसा क्रियाकलाप शामिल नहीं होगा, जिसमें वह किसी वयस्क या किशोर के एवज़ में कार्य करता हो। iv. कोई ऐसा क्रियाकलाप शामिल ना हो जिससे उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन हो। <u>उपर्युक्त के अलावा बच्चे द्वारा दिये जाने वाली 'सहायता पर निम्नलिखित अन्य शर्त भी लागू होंगी:</u> v. बच्चे का परिवार, उस पारिवारिक उद्यम का स्वामी होना चाहिए। vi. सहायता कार्य विद्यालय के समय के दौरान या 7:00 बजे अपराह्न और 8:00 बजे पूर्वाह्न के बीच निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए। vii. उसे पर्याप्त विश्राम दिया जाएगा और एक बार में लगातार तीन घंटे से अधिक सहायता कार्य नहीं लिया जाएगा। viii. बच्चे की निम्नलिखित बातों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा या उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा - शिक्षा का अधिकार - स्कूल में उपस्थिति - होमवर्क या पाठेतर क्रियाकलाप जैसे शैक्षिक या अन्य संबंधित क्रियाकलाप

ख.	किसी श्रव्य-दृश्य मनोरंजन उद्योग में कलाकार के रूप में कार्यरत होना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं- - विज्ञापन फिल्म - टेलिविजन - सीरियल्स - ऐसे अन्य मनोरंजन या खेलकुद संबंधी क्रियाकलाप	i. इसमें आर्थिक लाभ के लिए) किए जाने वाले सर्कस या गली-मोहल्लों में आयोजित किए जाने वाले नाटकों में अभिनय शामिल नहीं होंगे। ii. इसमें निम्नलिखित ऐसे अन्य क्रियाकलाप शामिल होंगे, जिसमें बच्चा स्वयं भाग ले रहा हो: - खेलकूद प्रतियोगिता या समारोह अथवा ऐसी प्रतियोगिता या समारोह का प्रशिक्षण - सिनेमा, वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री), प्रश्नोतरी, रिऐलिटी शो, टैलेंट शो जैसे टेलिविजन शो या रेडियो कार्यक्रम - नाटक, सीरियल्स - किसी शो या समारोह का सूत्रधार - अन्य कलात्मक प्रस्तुतियां, जिन्हें केंद्र सरकार अलग-अलग मामलों में अनुमति देती है। iii. बच्चों को लेने वाले श्रव्य-दृश्य उत्पादन गृह (प्रोडक्शन हाउस) के प्रोडयूसर अथवा किसी वाणिज्यिक समारोह के प्रबंधक को केंद्र सरकार के नियमों में दिए गए फॉर्म सी में जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य रूप से लेने की बात इसमें शामिल है।	i. कार्य के घंटे: एक दिन में 5 घंटे, बिना विश्राम किए लगातार 3 घंटे से अधिक नहीं। ii. फार्म सी में अनुमति: - जारी करने की तारीख से 6 माह तक विधिमान्य - इसमें उन प्रावधानों का उल्लेख किया जाएगा.जो निम्नलिखित के लिए उपलब्ध हों: • प्रत्येक प्रस्तुति के लिए अधिकतम 5 बच्चों पर एक जिम्मेदार व्यक्ति • शिक्षा • संरक्षा • यौन अपराध से सुरक्षा और बच्चों के प्रति ऐसे किसी अपराध की सूचना देने के लिए तंत्र • बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ् • पौष्टिक आहार • सुरक्षित और स्वच्छ शेल्टर • बच्चे को 27 दिन से अधिक लगातार कार्य नहीं करना होगा। iii. बच्चे की कमाई का 20 प्रतिशत बच्चे के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाएगा और उसके वयस्क होने पर उसके खाते में डाला जाएगा। iv. बच्चों की प्रतिभागिता वाले सभी श्रव्य दृश्य मनोरंजन शुरू में यह कथन करते हुए डिस्क्लेमर जारी करेंगे कि बच्चों की प्रतिभागिता के लिए उचित अनुमति ली गई है और उनके साथ दुराचार, उनके प्रति लापरवाही और उनके शोषण के विरुद्ध उनकी सुरक्षा भारत के कानून के अनुसार सुनिश्चित की गई है।

इसके अलावा, यदि कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ाई कर रहा हो और वह ऐसे विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को सूचित किए बिना लगातार 30 कार्य दिवसों से अधिक समय तक विद्यालय से अनुपस्थित रहता है, तो प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियुक्त जिला नोडल अधिकारी को उसकी सूचना देनी होगी।

2.3 किसी किशोर श्रमिक के लिए निषिद्ध रोजगार क्या है ?

14 से 18 वर्ष की आयु समूह के किसी किशोर को बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में दिए गए खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं की अनुसुची के भाग-क में उल्लिखित किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य या नियोजन निषिद्ध है।

2.4 यदि किशोर को गैर-खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने की अनुमति दी जाती है, तो कौन-सी शर्तें लागू होती हैं?

अधिनियम की अनुसूची के भाग 'क' में उल्लिखित व्यवसायों या प्रक्रियाओं से भिन्न सभी अन्य व्यवसाय या प्रक्रियाओं में किशोर के कार्य अथवा नियोजन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

कार्य के घटक	लागू शर्तें
कार्य के घंटे	1. वह उस प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की श्रेणी के लिए निर्धारित घंटों से अधिक घंटों तक कार्य नहीं कर सकता है।
	2. उपर्युक्त बिंदु 1 में किए गए उल्लेख के अलावा कार्य की कोई अवधि निर्धारित नहीं की जाएगी, लेकिन कोई भी किशोर 3 घंटे से अधिक लगातार कार्य नहीं करेगा, इस प्रकार कोई भी किशोर बिना विश्राम किए 3 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा। 3. कार्य की कोई भी अवधि किसी एक दिन में 6 घंटे से अधिक नहीं होगी। 4. यह अवधि 7:00 बजे अपराह्न और 9:00 बजे पूर्वाह्न के बीच नहीं हो सकती है। 5. वे समयोपरि कार्य नहीं कर सकते हैं। 6. उसी दिन किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर सकता है, जिस दिन उसने किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्य किया हो।

साप्ताहिक अवकाश	1. प्रत्येक किशोर को सप्ताह में एक पूरे दिन का अवकाश दिया जाएगा। 2. ऐसे अवकाश के विशिष्ट दिन को संगठन में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। 3. प्रत्येक तीन माह में ऐसे दिन को एक बार से अधिक नहीं बदला जाएगा।
श्रम निरीक्षक को दी जाने वाली सूचना	1. किशोर को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान को अपने प्रतिष्ठान के बारे में निम्नलिखित सूचना स्थानीय सीमाओं के अंदर श्रम निरीक्षक को भेजनी होगी: - प्रतिष्ठान का नाम और स्थान - प्रतिष्ठान के वास्तविक प्रबंधक वर्ग में शामिल व्यक्तियों के नाम पता, जिस पर संबंधित सूचना भेजी जाएगी - प्रतिष्ठान में किए जाने वाले व्यवसाय या प्रक्रिया का ब्योरा 2. उपर्युक्त सूचना प्रतिष्ठान में किशोर के नियोजन शुरू करने के 30 दिन के अंदर भेजी जानी चाहिए।
आयु संबंधी विनियम	1. श्रमिकों का निरीक्षण करने के दौरान निरीक्षक ऐसे प्रत्येक मामले में जहां वह पूरी तरह आश्वस्त न हो कि नियोजित व्यक्ति 14 वर्ष से कम का बच्चा है या ऐसा किशोर है जिसे खतरनाक व्यवसाय में लगाया गया है, तो वह निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिए गए आयु प्रमाण-पत्र को दिखाने के लिए कह सकता है। 2. यदि ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध न हो, तो निरीक्षक संबंधित बच्चे या किशोर की आयु का पता लगाने के लिए उसे निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के पास भेज सकता है।
रजिस्टर रखना	ऐसे सभी प्रतिष्ठान, जहां किशोरों को नियोजित किया जाता है या कार्य करने की अनुमति दी जाती है, नियमों में निर्धारित तरीके से एक रजिस्टर मेन्टेन करेंगे।
स्वास्थ्य और सरक्षा	किशोर का स्वास्थ्य और उसकी संरक्षा इस अधिनियम की धारा-13 की उप-धारा (2) के बिंदु (क) से (भ) के संबंध में सुनिश्चित की जाएगी।

निवारण संबंधी क्रियाकलापों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

3.1 जागरूकता पैदा करना :

मध्यप्रदेश नियमावली के नियम 2क के अनुसार सामान्य जनता में बाल श्रम को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता के संबंध में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए विशेष प्रक्रिया अभिनिर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं:

• टेलिविजन और / या रेडियो आदि जैसे लोक, पारंपरिक और जन माध्यमों का उपयोग करते हुए आम जनता, उपभोक्ताओं, संवेदनशील समुदायों, नियोक्ताओं आदि के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना।

• पुलिस, चाइल्ड लाइन तथा श्रम विभाग के स्थानीय जिला नोडल अधिकारी के टेलीफोन नंबर तक पहुंच की सुविधा देकर रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाना ।

•अधिनियम और नियमावली के प्रमुख प्रावधानों को आसानी से समझे जाने वाले तरीकों से सार्वजनिक स्थानों में लिखना और प्रदर्शित करना।

• पंचायत, महिला समूह, बाल समूह, विद्यालयों, अध्यापकों आदि जैसे सार्वजनिक और सामुदायिक संसाधनों को सशक्त और समर्थ बनाना, ताकि किसी भी उल्लंघन के बारे में उनमें जागरूकता पैदा की जा सके। बालकों और किशोरों में विद्यालय के स्तर पर या स्ट्रीट प्ले, प्रतियोगिता संबंधी क्रियाकलापों और लोक संगीत संबंधी क्रियाकलापों आदि जैसे मिड-मीडिया क्रियाकलापों के माध्यम से जागरूकता पैदा की जा सकती है।

• जिला प्रशासन द्वारा उद्योगों या संस्थाओं के नियोक्ताओं/अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, ताकि उनमें कानूनी सजगता पैदा की जा सके और बाल श्रम को समाप्त करने में उनकी भूमिका निश्चित की जा सकें।

3.2 बाल और खतरनाक रोजगार किशोर श्रम पर प्रतिबंध हेतु विभिन्न संस्थान:
संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों करने के लिए उनमें निर्धारित संस्थागत तंत्र स्थापित करना व संस्थाओं का क्षमता निर्माण करना भी एक पूर्व आवश्यकता है, ताकि बाल और खतरनाक रोजगारों किशोर श्रम पर प्रतिबंध लगाया जा सके।

• प्रत्येक जिलें में मध्यप्रदेश बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1993 के नियम 8 ग (iii) के अधीन जिला कार्यबल (डीटीएफ) का गठन करना, जिसमें निर्धारित संख्या में सदस्य हो जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट हो। कार्यबल की बैठक 2 महीने में एक बार होगी उसके द्वारा जिले के बाल श्रम संवेदनशील क्षेत्रों का पता जाएगा (पता लगाने के लिए सर्वेक्षण, बंधुआ पुनः स्थापना योजना और या स्थानीय सीडब्लूसी आदि से प्राप्त सूचना का उपयोग किया जा सकता है)। कार्यबल जागरुकता पैदा करने,

मॉनिटरिंग करने और बाल श्रम तथा खतरनाक रोजगार में किशोर श्रम पर रोक लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक क्रियाकलापों का समन्वय करेगा।

• श्रम विभाग/ जिला मजिस्ट्रेट एक जिला नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, "पेंसिल' पर बाल श्रम के मामलों पर नजर रखेगा और बाल श्रम तथा खतरनाक रोजगारों में किशोर श्रम पर रोक लगाने के लिए जिला कार्यबल (डीटीएफ) की मासिक बैठक में आवश्यक क्रियाकलापों की सिफारिश करेगा।

• ऑनलाइन पोर्टल "पेंसिल' के माध्यम से बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार लगे किशोर श्रमिकों से संबंधित शिकायतों पर लगातार नजर रखी जाएगी। जिला नोडल अधिकारी सभी शिकायतों अन्य स्रोतों से भी प्राप्त, को पेंसिल पोर्टल पर दर्ज करेगा एवं पोर्टल के चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से बच्चों अथवा किशोरों के कार्य अथवा रोजगार में पुनः प्रवेश का निवारण सुनिश्चित कर सकेगा और विद्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति सुनश्चित की जा सकेगी।

3.3 एजेंसियों में समन्वय और अभिसरण (कन्वरजेंस) :

जिला, राज्य और केंद्र की विभिन्न बाल सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना बाल श्रम के निवारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

• महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय- बाल श्रमिकों का पता लगाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्प लाइन, सर्वेक्षणों या पोर्टलों से सूचना लेना।

• विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ समन्वय- ऐसे बच्चों के संबंध में विद्यालय के स्तर पर सूचना प्राप्त करना, जो लगातार 30 दिन तक विद्यालय से अनुपस्थित रहे हो और सभी बच्चों का नामांकन तथा स्कूल में बने रहना सुनिश्चित करना और राज्य तथा केंद्रीय स्तर पर पाठ्यक्रमों और शैक्षिक सामग्री में बाल श्रमिकों के बारे में सूचना शामिल करना, बाल श्रम निवारण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।

• जिला बाल सुरक्षा इकाई (डीसीपीयू) विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू). चाइल्ड लाइन, जिला मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति, आईसीपीएस के अधीन ग्राम-स्तरीय बाल सुरक्षा समिति, आईटीपीए अधिनियम, 1986 के अधीन जिला स्तरीय सतर्कता समिति, जिला कार्यबल (डीटीएफ) के माध्यम से विद्यालय और पंचायत जैसे अन्य एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय और कार्य करना।

• तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग के साथ समन्वय कर युवाओं का कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है, ताकि उन्हें खतरनाक रोजगार में लगने से बचाया जा सके।

खंड 4: खतरनाक रोजगार में लगे बाल श्रमिकों और किशोर श्रमिकों की पहचान और रिपोर्टिंग

• पहचान उस प्रक्रिया का पहला चरण है, जिससे बाल श्रमिक का पता लगाया जा सकता है, ताकि उस तक पहुंचा जा सके, उसे उचित और सुरक्षित सहायता दी जा सके तथा सुरक्षात्मक उपाय किए जा सके और अंततः बाल श्रम पीड़ित के रूप में उसकी आधिकारिक पहचान की जा सके।

4.1 पीड़ित अर्थात बाल/ किशोर श्रमिक की पहचान कैसे करें?

बाल श्रमिकों और खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित किशोर श्रमिकों की पहचान के लिए निम्नलिखित स्रोतों से सूचना प्राप्त की जा सकती है

सर्वेक्षण	• बंधुआ मजदूर योजना • विद्यालय में न जाने वाले बच्चे-शिक्षा विभाग (एचआरडी) • जिला बाल संरक्षण इकाइयों और राज्य बाल संरक्षण इकाइयों के द्वारा किया गया आवश्यकता मूल्यांकन
अग्रलक्षी जांच	• जिला कार्यबल • जिला श्रम विभाग के अधिकारी • जिला मजिस्ट्रेट • जिला नोडल अधिकारी • पुलिस
संस्थागत शिकायत	• पेंसिल पोर्टल www.pencil.gov.in पर • चाइल्ड लाइन पर 1098 • जिला नोडल अधिकारी द्वारा • एनसीपीसीआर, एससीपीसीआर, एनएचआरसी एसएचआरसी एनएएलएसए एसएलएसए, बीएलएसए, सीडब्लूसी से
अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायत	• नियोक्ता एसोसिएशन और श्रमिक संघों से • गैर सरकारी संगठनों से • माता-पिता और रिश्तेदारों से • 30 दिन तक की अनुपस्थिति के संबंध में अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यों से • पीड़ित द्वारा स्वयं सूचित किए जाने से • कोई अन्य व्यक्ति

4.2 सूचना कौन दे सकता है?

कोई भी व्यक्ति सिविल सोसाइटी का सदस्य, संस्था या संगठन बाल अगिकों या खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों से संबंधित घटना की रिपोर्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय के पेसिल पोर्टल पर, टेलीफोन पर पत्र मेकर लिखित शिकायत करके, ई-मेल पर हेल्पलाइन पर व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य माध्यम से दे सकता है।

4.3 शिकायत कहां दर्ज करानी होगी ?

किसी भी व्यक्ति के पास यदि बाल श्रम के बारे में कोई सूचना हो, तो यह निम्नलिखित एजेंसियों से संपर्क कर सकता है:

रिपोर्टिंग एजेंसी

'पेंसिल' पोर्टल का शिकायत कॉर्नर	कोई पुलिस स्टेशन / एसजेपीयू	जिला: मजिस्ट्रेट के अधीन जिला कार्यबल	राज्य श्रम विभाग / श्रम निरीक्षक	चाइल्ड लान (1098)	जिला नोडल अधिकारी

ये एजेंसियां शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर सीधे कार्यस्थल का दौरा करके या जिला कार्यबल द्वारा अभिनिर्धारित स्रोतों के माध्यम से शिकायत का सत्यापन करेंगी। यदि शिकायत वाजिब पाई जाती है, तो सभी एजेंसियों को पुलिस विभाग में शिकायत दायर करनी होगी, जो बचाव की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

'पेंसिल' पोर्टल पर शिकायत करने की प्रक्रिया अनुबंध में दी गई है। जिला नोडल अधिकारियों और उनके टेलीफोन की अद्यतन सूची पेंसिल पोर्टल पर उपलब्ध है।

4.4 शिकायत में किन तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए?

लिखित शिकायत में उस स्थान का विवरण दिया जाना चाहिए, जहां बाल / किशोर श्रमिक कार्य कर रहा है, कार्यस्थल का पता, नियोक्ता का नाम, संदिग्ध बाल / किशोर श्रमिक का नाम एवं संभावित आयु और यदि संभव हो तो बाल / किशोर श्रमिक का चित्र ।

शिकायत में उल्लिखित तथ्य- बाल/ किशोर श्रमिकों का विवरण-

1. बाल किशोर संबंधी विवरण, जिसमें उनकी संख्या का भी उल्लेख हो।
2. कार्यस्थल और नियतका का विवरण
3. सूचना देने वाले व्यक्ति का विवरण (निजता)

4.5 शिकायत की सूचना कैसे दर्ज की जाए?

शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस शिकायत दर्ज करते समय इस अपराध से संबंधित संगत कानूनों का उल्लेख करेगी, जिसमें बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1985 के निम्न प्रावधान भी शामिल है

धारा-14	अपराध	दंड
(1)	बच्चे को कार्य पर लगाना या किसी कार्य को करने के लिए बच्चे को अनुमति देना	कम से कम 6 माह की अवधि का कारावास, लेकिन जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या इसके अलावा कम से कम 20,000 रुपये का जुर्माना, लेकिन जिसे 50,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा ये दोनों दंड (लेकिन इस धारा के अधीन माता-पिता या संरक्षक को दंडित नहीं किया जा सकता है)
(1क)	किसी किशोर को काम पर लगाना या अनुसूची के भाग क में सूचीबद्ध खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य करने के लिए किशोर को अनुमति देना	कम से कम 6 माह की अवधि का कारावास, लेकिन जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या इसके अलावा कम से कम 20,000 रुपये का जुर्माना, लेकिन जिसे 50,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा ये दोनों दंड (लेकिन इस धारा के अधीन माता-पिता या संरक्षक को दंडित नहीं किया जा सकता है)
(2)	उपर्युक्त धाराओं के अधीन अपराध को दोहराना	कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कारावास, लेकिन जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
(2क)	माता-पिता, जो इस अपराध को दोबारा करते हैं।	जुर्माना, जिसे 10000 रुपये तक लगाया जा
3	इस अधिनियम की किसी अन्य धारा, जिसमें किशोर के लिए कार्य करने की शर्तें शामिल हैं, का उल्लंघन।	1 माह का कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों।

अन्य कानूनों में दिए गए प्रावधान

बाल श्रम के मामले में बच्चों का दुर्व्यापार, नियोजन के दौरान बच्चों के प्रति अपराध, बंधुआ मजदूरी जैसे विभिन्न कानूनों की धाराएं, जो कि सामने दी गईं हैं, लगाई जा सकती हैं।	आईपीसी की धारा 370, 370क, 342, 343, 344, 363क और 374 जेजे अधिनियम 2015 की धारा 7488, 80-8587 42 और 33-34 (बच्चों के मामले में) बीएलएसए 1976 की धारा 16-23 एससी / एस टी एक्ट्स 3(एच), 3 (2) (v)
यदि यौन शोषण का मामला हो तो सामने दी पीओसीएसओ 2012 की धारा 318 (बच्चों के मामले गई धाराएं भी लगाई जाएंगी।	पीओसीएसओ 2012 की धारा 3-18 (बच्चों के मामले में) आईपीसी की धारा 342, 343, 344,346, 354क 354, 354ग, 354घ, 366क, 366ख और 509)

खंड 5 बचाव से पहले की जाने वाली व्यवस्था

प्रत्येक सत्यापित शिकायत के संबंध में -

- स्थिति की संवेदनशीलता का आंकलन करें।
- यदि बच्चे के जीवन, उसकी स्वतंत्रता या सुरक्षा के लिए कोई जोखिम हो या यदि बच्चे को ऐसे कहीं हटाये जाने का अथवा तस्करी का जोखिम हो तो तत्काल कार्रवाई करें, इसके साथ-साथ एफआईआर भी दायर की जा सकती है।
- जिला कार्यबल स्टेकहोल्डरों के ऐसे आपाती दलों का गठन करने के लिए प्रतिमाह एक अनुसूची तैयार करेगा, जिन्हें तत्काल बचाव के लिए बुलाया जा सकता है। इस अनुसूची को सभी प्रतिभागी स्टेकहोल्डरों के साथ साझा किया जा सकता है।

5.1 बचाव दल का गठन

स्टेकहोल्डरों का एक व्यापक बचाव दल बाल श्रमिकों या खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों के बचाव के लिए गठित किया जाएगा। कानून लागू करने वाली एजेंसियों, स्वतंत्र गवाहों और बचाव दल में शामिल किए जाने वाले अन्य प्रबुद्ध लोगों की एक सांकेतिक सूची नीचे दी जा रही है:

क. पुलिस / विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस. जे. पी. यू.)
ख. जिला नोडल अधिकारी या श्रम निरीक्षक,
ग. जिला मजिस्ट्रेट या उप-जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित (बाल श्रमिकों का मामला बंधुआ श्रमिकों का मामला भी हो सकता है)
घ. सीडब्लूसी / डीसीपीओ / ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति के सदस्य

ङ. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि
च महिला पुलिस अधिकारी
छ. एनजीओ, चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा के प्रतिनिधि और
ज. अनुवादक, काउंसलर आदि

5.2 बचाव की तैयारी

क) बचाव दल को यह सुनिश्चित करना होता है कि निम्नलिखित चीजों के रूप में समुचित सामग्री एवं सहयोग उपलब्ध है

- भोजन
- पानी
- वस्त्र और कंबल
- प्राथमिक उपचार वाला चिकित्सा किट (प्रसाधन संबंधी सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं यथा सेनेटरी नैपकिन आदि)
- अनुवादक, यदि अपेक्षित हो
- निकटतम अस्पताल का नक्शा और आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता की उपलब्धता। साथ ही एक एंबुलेंस की उपलब्धता भी।
- तत्काल शेल्टर के लिए जिला डीसीपीयू या सीडब्लूसी द्वारा अनुमोदित निकटतम बाल देखभाल संस्था या उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त सुविधा वाले स्थान को सूचित करें। यह सुनिश्चित करें कि यह सूचना तत्काल सुनियोजित बचाव के लिए डीटीएफ के पास हो।

ख) पीडित बाल / किशोर श्रमिकों और आरोपियों को अलग-अलग ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन तैयार रखें। इस संबंध में आईसीपीएस, पुलिस राज्य संसाधन केंद्र द्वारा सहायता दी जा सकती है।

ग) <u>साक्ष्य एकत्र करना</u> बचाव के स्थान से एकत्र किए जाने वाले सभी साक्ष्यों के लिए तैयारी सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करने के लिए बचाव टीम के साथ समन्वय करें कि जिस टीम को साक्ष्य एकत्र करने का कार्य सौपा गया है, वह बचाव से पहले बचाव के स्थान के ढांचे के बारे में जानती हो। साक्ष्य एकत्र करने में सहायता हेतु संवेदनशील वीडियोग्राफर / फोटोग्राफर की व्यवस्था करें।

<u>(घ) समुचित चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करना</u> निकटतम सरकारी अस्पताल का पता लगाएं और आपात स्थिति में पेशेवर चिकित्सा सहायता की उपलब्धता का पता लगाएं। एक एंबुलेंस हमेशा तैयार रखें। पीड़ित की तत्काल और दीर्घकालिक चिकित्सा आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी प्राधिकृत चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित करें। अवैध व्यापार (ट्रैफिकिंग) के पीड़ित को छुड़ाए जाने के बाद मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध करने के लिए संसाधनों को चिह्नित करें।

ङ) पीडित संरक्षण तंत्र : पीड़ित के लिए निर्धारित बचाव टीम के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव का कार्य करते ही अपराधी से पीड़ित को पृथक करने की योजना तैयार की जाये ताकि पीड़ित की सुरक्षा की जा सके और साक्ष्यों को भी सुरक्षित रखा जा सके। यदि संभव हो तो

पीड़ित को उसके बयान लेने के लिए किसी अन्य स्थान पर ले जाने की व्यवस्था करें इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी संबंधित विभाग, सभी संबंधित विभागों के अधिकारी, जिनमें पुलिस, एसडीएम, श्रम निरीक्षक भी शामिल हैं. उस समय उपस्थित रहें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ित को बार-बार अपना बयान नहीं देना पड़े।

च) तत्काल देखभाल और संरक्षण गृहों को सूचित करना: बचाव टीम को चाहिए कि यह सरकार या गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे अल्पावधि गृह/बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) या किसी उपयुक्त स्थान या छुड़ाए गए व्यक्तियों की संभावित संख्या के अनुसार उपयुक्त व्यक्ति स्थान अथवा संस्था एवं उस तक पहुंचने के संभावित समय की सूचना दे। बाल कल्याण समिति को विधिवत सूचित किया जाना चाहिए।

छ) पीडित की गोपनीयता सुनिश्चित करना: बचाव टीम को बचाव संबंधी कार्रवाई और छुडाए गए व्यक्तियों की गोपनीयता सुनिश्चित करनी चाहिए। पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पीड़ित की पहचान जन माध्यमों को तब तक न बताई जाए, जब तक सक्षम विधिक प्रवर्तन प्राधिकारी द्वारा निर्देशन दिए जाएं।

ज) गवाहों की उपस्थिति बचाव के समय कम से कम दो गवाह उपस्थित रहने चाहिए, जिनमें से कम से कम एक महिला हो।

झ) कानूनी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करना बचाव दल के साथ जाने के लिए डीएलएसए / एसएलएसए द्वारा उपलब्ध किए जाने वाले वकील / विधिव्यवसायी (पैरालीगल) की व्यवस्था करें और यह सुनिश्चित करें कि साक्ष्य एकत्र करने तथा एफआईआर में कानून की धाराएं दर्ज करने के लिए समुचित कानूनी परामर्श दिया जा सके और पीड़ित अर्थात बाल/ किशोर अमिक और उसके परिवार को तत्काल कानूनी सहायता प्रदान की जा सके।

खंड 6: बचाव

6.1 बचाव के लिए की जाने वाली कार्रवाई:

1. सामान्य डायरी में उस समय प्रविष्टि करें, जब आप पुलिस स्टेशन से बचाव के लिए निकल रहे हो, इस यह सुनिश्चित होगा कि श्रोत/ पीड़ित / स्थान संबंधी सूचना के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकेगा।

2. स्थान की भली-भांति तलाशी सुनिश्चित करें, ताकि कोई बालक या किशोर वहां रह न जाए। नकली दरवाजों, छतों, छिपने की जगहों को ध्यान से देखें। पीड़ित अर्थात बाल / किशोर श्रमिक की पहचान छिपाना सुनिश्चित करें।

3. बच्चे को वास्तविक स्थिति की जानकारी दें। यदि आवश्यक हो, तो इसके लिए द्विभाषिया / अनुवादक और एनजीओ के प्रतिनिधियों या डीएलएसए के प्रतिनिधियों की सहायता लें। ध्यान रहे कि बच्चा जो भाषा समझता हो, उसी भाषा का प्रयोग करें।

4. प्रत्येक पीडित अर्थात बाल/ किशोर श्रमिक द्वारा किए गए कार्य का साक्ष्य, भोजन के बिलों, टिकटों, दोषी के स्वामित्व वाले वाहनों/संपति के दस्तावेजों, कम्प्यूटर, टेलीफोन, किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक मद. पीड़ित अर्थात बाल / किशोर श्रमिक के रिकॉर्ड / पहचान-पत्र दोषी के पहचान-पत्र आदि को एकत्र करें एक जन्तगी ज्ञापन तैयार करें।

5. उस क्षेत्र का नक्शा तैयार करें। उस स्थान से प्राप्त सामान का उल्लेख करें, जहां आरोपी था और जहां पीडित बाल/ किशोर श्रमिक आदि थे। इसके समर्थन में फोटोग्राफ / वीडियोग्राफ लें।

6. एक प्रकटन ज्ञापन तैयार करें।

7. जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 74 के अधीन छुड़ाए गए बच्चे की पहचान छिपाने का आदेश दिया गया है (यहां बच्चे से तात्पर्य 18 वर्ष की आयु से कम आयु के व्यक्ति से है)। इस प्रावधान का उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 6 माह तक का कारावास हो सकता है। छुड़ाए गए बच्चे और किशोर की पहचान छुपाना सुनिश्चित करें।

8. उन परिसरों को सील करें।

6.2 आयु का सत्यापनः

यदि बच्चे / बच्चों की आयु के बारे में नियोक्ता और श्रम निरीक्षक के बीच कोई विवाद हो, तो आयु का सत्यापनः यदि पीडित अर्थात बाल/ किशोर श्रमिक की आयु के बारे में कोई मतभेद हो तो साक्ष्य मांग कर आयु के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएंः

i. विद्यालय से जन्म प्रमाण-पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, यदि उपलब्ध हो और यदि इनमें से कोई न हो, तो

ii निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण-पत्र ।

iii. उपर्युक्त (i) और (ii) के उपलब्ध न होने की स्थिति में आयु का निर्धारण न्यायालय के आदेश से अस्थिभवन (ओसिफिकेशन) परीक्षण या कोई अन्य अद्यतन चिकित्सकीय आयु निर्धारण परीक्षण से किया जा सकता है।

6.3 पीड़ित बाल / किशोर श्रमिक को तत्काल सहायता

बाल श्रम के पीड़ित को छुड़ाते ही, उसकी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिएः

1. पीड़ितों को अपराधी से पृथक करें और यदि संभव हो तो पीड़ितों को किसी अन्य स्थान पर ले जाएं।
2. उन्हें भोजन, पानी या आवश्यक कपड़े दें।
3. उन्हें नहाने/ शौच आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

4. पहले से उपलब्ध चिकित्सा किट का उपयोग करते हुए उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता दें। यदि आवश्यक हो तो पीडित को पहले से निर्धारित स्थान पर चिकित्सा परिचर्या के लिए ले जाएं।
5. यदि आवश्यक हो तो यह सुनिश्चित करें कि कोई अनुवादक / द्विभाषिया उपलब्ध हो।
6. वर्तमान स्थिति के बारे में पीड़ित को सहानुभूति और मित्रतापूर्ण तरीके से बताएं और यह बताएं कि निकट भविष्य में क्या होने की संभावना है। यह कार्य सामाजिक कार्यकर्ता या मनोवैज्ञानिक की सहायता से सर्वोत्तम तरीके से किया जा सकता है।
7. इस बात का आंकलन करें कि क्या पीड़ित को तत्काल किसी चिकित्सा (शारीरिक या मनोवैज्ञानिक) की आवश्यकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे यह सुविधा उपलब्ध करें।

6.2 आयु का सत्यापनः

यदि बच्चे / बच्चों की आयु के बारे में नियोक्ता और श्रम निरीक्षक के बीच कोई विवाद हो, तो आयु का सत्यापनः यदि पीडित अर्थात बाल/ किशोर श्रमिक की आयु के बारे में कोई मतभेद हो तो साक्ष्य मांग कर आयु के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएंः

i. विद्यालय से जन्म प्रमाण-पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, यदि उपलब्ध हो और यदि इनमें से कोई न हो, तो
ii. निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण-पत्र |
iii. उपर्युक्त (i) और (ii) के उपलब्ध न होने की स्थिति में आयु का निर्धारण न्यायालय के आदेश से अस्थिभवन (ओसिफिकेशन) परीक्षण या कोई अन्य अद्यतन चिकित्सकीय आयु निर्धारण परीक्षण से किया जा सकता है।

6.3 पीड़ित बाल / किशोर श्रमिक को तत्काल सहायता

बाल श्रम के पीड़ित को छुड़ाते ही, उसकी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिएः

1. पीड़ितों को अपराधी से पृथक करें और यदि संभव हो तो पीड़ितों को किसी अन्य स्थान पर ले जाएं।
2. उन्हें भोजन, पानी या आवश्यक कपड़े दें।
3. उन्हें नहाने/ शौच आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
4. पहले से उपलब्ध चिकित्सा किट का उपयोग करते हुए उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता दें। यदि आवश्यक हो तो पीडित को पहले से निर्धारित स्थान पर चिकित्सा परिचर्या के लिए ले जाएं।
5. यदि आवश्यक हो तो यह सुनिश्चित करें कि कोई अनुवादक / द्विभाषिया उपलब्ध हो।
6. वर्तमान स्थिति के बारे में पीडित को सहानुभूति और मित्रतापूर्ण तरीके से बताएं और यह बताएं कि निकट भविष्य में क्या होने की संभावना है। यह कार्य सामाजिक कार्यकर्ता या मनोवैज्ञानिक की सहायता से सर्वोत्तम तरीके से किया जा सकता है।
7. संवेदनशील तरीके से पीडित को स्थिति की जानकारी देने के लिए कानूनी परामर्श और कानूनी सहायता प्रदान करें।

8. ऐसी सेवाओं की सूची तैयार करें, जिन्हें पीड़ित को तत्काल उपलब्ध करने की आवश्यकता और उनकी उपलब्धता सुनश्चित करें।

9. छुड़ाए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के अनुदेशों के अनुसार बाल देखभाल संस्थाओं या उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त सुविधा-गृहों में रखा जाना चाहिए। उन मामलों में जिनमें माता-पिता ने शिकायत दायर की हो, बच्चों की अभिरक्षा बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने के बाद माता माता-पिता को सौंपी जा सकती है।

छुड़ाए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना होगा या यदि संभव न हो तो छुडाए जाने 24 घंटे के अंदर (इसमें यात्रा समय शामिल नही है) समिति के किसी सदस्य के समक्ष पेश करना होगा।

खंड 7 बचाव से बाद के कार्य

7.1 पीडित बाल/ किशोर श्रमिक की सुरक्षा

- पीड़ित अर्थात बाल/ किशोर श्रमिक को कभी भी अपराधी नहीं समझा जाना चाहिए, उसे कभी भी बंदी गृह में नहीं रखा जाना चाहिए या उसे अपराधी के साथ कभी भी बातचीत नहीं करने देनी चाहिए। पीड़ित अर्थात बाल/ किशोर श्रमिक के साथ की जाने वाली बातचीत उसकी सुविधाजनक भाषा में की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीड़ित अर्थात बाल/ किशोर श्रमिक दोषी या उसके किसी प्रतिनिधि से नहीं मिलता है।

i. **एफआईआर दर्ज करनाः** पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कानूनों के संगत प्रावधानों सहित एफआईआर दर्ज की जाए। बाल श्रमिक या खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिक अवैध व्यापार (ट्रैफिकिंग), बच्चों के प्रति अपराध, अपहरण, यौन शोषण आदि के भी शिकार हो सकते हैं।

ii. **बाल कल्याण समिति** (सीडब्लूसी) के समक्ष पेश करना सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो जांच का आदेश देगी, जिसमें चिकित्सा जांच, आयु का निर्धारण, मध्यस्थ देखभाल और सुरक्षा, माता-पिता का पता लगाना या यदि बाल कल्याण समिति बच्चे को उसके माता-पिता के पास भेजना उचित समझे तो उसके घर आदि का सत्यापन किया जाना शामिल किया जा सकता है। सामाजिक जांच की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर दाखिल की जाएगी। इस स्तर पर या जांच की समाप्ति पर बाल कल्याण समिति किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से एफआईआर में अतिरिक्त धाराएं शामिल करने की सिफारिश कर सकती है।

iii. **पीड़ित की काउंसलिंग** : पीड़ित अर्थात बाल/ किशोर श्रमिक की काउंसलिंग का कार्य प्रशिक्षित काउंसलर, सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता या गैर सरकारी संगठन या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि पीड़ित अर्थात बाल/ किशोर श्रमिक को पूरी जानकारी दी जा सके। पीड़ित को पहुंचे मानसिक अभिघात और अपेक्षित सहायता का मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दी जानी चाहिए, ताकि वह उसके संबंध में

उपयुक्त आदेश पारित कर सके। पीडित के पास जो भी सूचना हो, उसे जांच के लिए प्राप्त किया जाना और उसकी आवश्यताओं के बारे में अभियोजन और पुनर्वास की सभी अवस्थाओं में सुना जाना सुनिश्चित होना चाहिए।

iv. कानूनी सहायता पीडित अर्थात बाल किशोर धनिक को पुलिस स्टेशन में और शरक्षा के स्थल पर कानूनी सहायता दी जाएगी। यदि आवश्यक हो तो डीएलएसए / एसएलएसए और गैर सरकारी संगठन की सूची में शामिल वकीलों के माध्यम से कानूनी सहायता दी जाएगी। बच्चे के माता-पिता को कानूनी काउंसलिंग और सलाह अवश्य दी जानी चाहिए।

v. पीडित अर्थात बाल/ किशोर श्रमिक का बयान दर्ज करना उचित मनोवैज्ञानिक सामाजिक काउंसलिग के बाद ही मेट्रोपोलिटेन/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के अनुसार पीडित का बयान दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन यह कार्य 14 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों को ध्यान में रखकर सीडब्लूसी न्यायालय द्वारा जारी की गई अनुमति के बाद ही इस अवधि को बढाया जा सकता है।

vi. पीडित गवाह की सुरक्षा: पीडितों और / या गवाहों द्वारा स्वयं या उनके माता-पिता / संरक्षक द्वारा पुलिस या संबंधित न्यायालय को सुरक्षा संबंधी आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर सभी पीड़ित और या गवाह सुरक्षा के हकदार होते हैं। यह सुरक्षा उस व्यक्ति को भी दी जा सकती है, जिसकी अभिरक्षा में बच्चा हो। किसी अवस्था में पुलिस द्वारा स्वयं अथवा न्यायालय द्वारा अपने विवेक से यह सहायता देने का निर्णय लिया जा सकता है।

Vii आदेश: पीडित / गवाह की सुरक्षा से संबंधित सभी आदेश और कार्रवांई अत्यधिक गुप्त और यथावत रखी जाएगी।

Viii. पीड़ित गवाह के बयान: स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को गवाह के बयानों पर लगातार ध्यान देना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गवाह सुरक्षित तरीके से बयान दे पा रहा है। यह सुनिश्चित करें कि पीडित / गवाह को पर्याप्त यात्रा भत्ता और संरक्षित शेल्टर दिया गया है। जहां कही व्यवहार्य हो और आवश्यक समझा जाए, विचारण बंद कमरे में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाए।

7.2 अभियोजन/ जांच सुदृढ करना:

i. जिला नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह की गई कानूनी कार्रवाई की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करे और उसे पेंसिल पोर्टल पर डाले। पुलिस को चाहिए कि वह यथा संभव परिश्रम और समयबद्ध तरीके से कार्यवाही पूर्ण करे। अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173 1-क) के अनुसार यदि अपराध पीओसीएसओ के अधीन दर्ज किया गया हो, तो जहां संभव हो जाथ 3 माह के अंदर पूरी की जानी चाहिए और विचारण- एक वर्ष के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। आरोप पत्र यथासंभव शीघ्र दाखिल किया जाना चाहिए और लोक अभियोजक को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।

ii. कानून की समुचित धाराओं का आंकलनः जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर मामले के तथ्यों के अनुसार सभी संगत धाराओं का एफआईआर और आरोप-पत्र में अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए। पुलिस इसके लिए लोक अभियोजक, डीएलएसए की सूची में शामिल वकील या पुलिस स्टेशनः में नामित विधि व्यवसायी (पेरालीगल) की सेवाओं का उपयोग कर सकती है।

iii. आरोपी की चिकित्सा जांच सीआरपीसी की धारा 53, 53क और 54 के अधीन आरोपी व्यक्ति की यथा अपेक्षित चिकित्सा जांच की जाए।

खंड 8: पुनर्वास

छुड़ाए गए सभी बाल श्रमिकों और किशोर श्रमिकों का सभी स्टेकहोल्डरों द्वारा समन्वित एवं सम्मिलित कार्रवाई के माध्यम से पुनर्वास किया जाएगा। जिला नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह सूचक कार्ड तैयार करे और पुनर्वास के तरीके के संबंध में निर्णय ले।

8.1 सामाजिक पुनर्वास

घर का सत्यापन और घर वापसीः

छुड़ाए गए 18 वर्ष से कम आयु के सभी बालको/किशोरों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाए। बाल कल्याण समिति को चाहिए कि वह एक जांच करे, जिसमें घर के सत्यापन की प्रक्रिया और सामाजिक जांच रिपोर्ट भी शामिल की जाए। इसी के आधार पर बाल कल्याण समिति निम्नलिखित के संबंध में आदेश पारित कर सकती हैः

• यदि घर का सत्यापन हो जाता है, तो पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिक को उसके मूल समुदाय / घर में वापस भेज दिया जाना चाहिए और बाल कल्याण समिति घर वापसी के संबंध में आदेश पारित कर सकती है। बाल कल्याण समिति घर वापसी के लिए अपेक्षित आवश्यक धन संबंधी आवश्यकता के बारे में आदेश पारित कर सकती है और उसे मुहैया करा सकती है। राज्य के अंदर तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सुरक्षित घर वापसी के संबंध में बाल कल्याण समिति संबंधित प्राधिकारियों जैसे उस क्षेत्र की बाल कल्याण समिति को सूचित करेगी, जहां बालक / किशोर श्रमिक को जा जा रहा है। बाल कल्याण समिति गैर-सरकारी संगठन या एसजेपीयू को आदेश दे सकती है कि वह बालक के साथ जाएं।

• यदि घर का सत्यापन अनुमोदित नहीं किया जाता हैं, तो पीड़ित के दीर्घकालिक पुनःस्थापन की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि संस्थागत सहायता की आवश्यकता हो, तो बाल कल्याण समिति द्वारा उन्हें निम्नलिखित के पास भेजा जाना चाहिए

-बाल गृह
- उपयुक्त कौशल केंद्र
- उपयुक्त व्यक्ति
- पालन-पोषण गृह

उसे तब तक उपर्युक्त स्थानों में रखा जाना जाना चाहिए, जब तक कि वह 18 वर्ष का ना हो। इसके अलावा व्यक्तिगत देखगाल योजना के माध्यम से बाल कल्याण समिति द्वारा उसकी आवधिक मॉनिटरिंग की जानी चाहिए।

8.2 शैक्षिक पुनर्वासः

• यदि बालक/बालिका के शिक्षा के अधिकार के तहत सर्व शिक्षा अभियान से सीधे जोड़ा जाएगा।

8.3 आर्थिक पुनर्वासः

• पिछली मजदूरीः छुड़ाए गए सभी बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों को उनके रोजगार की अवधि को ध्यान में रखते हुए कम से कम न्यूनतम मजदूरी की दर पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

• केंद्रीय क्षेत्र के बधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, 2016 के अधीन उस स्थति में 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता तत्काल दी जाएगी यदि बालक किशोर बंधुआ मजदूर रहा हो। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करने पर 3,00,000 रुपये तक अतिरिक्त मुआवजा उपलब्ध है।

• अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357क के अनुसार, यदि न्यायालय द्वारा मुआवजे की सिफारिश की जाती है, तो यथास्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) या राज्य प्राधिकरण (एसएलएसए) इस योजना के अधीन दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा के संबंध में निर्णय लेंगे।

• आर्थिक मुआवजा एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य एआईआर 1997 एससीसी 699 निर्णय के अनुसार

- नियोक्ता द्वारा "बाल श्रमिक के पुनर्वास एवं कल्याण निधि में प्रत्येक बच्चे के लिए 20,000/ रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस निधि का उपयोग केवल उस बच्चे के हितलाभ के लिए किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त सरकार उस बालक / बालिका के परिवार के किसी वयस्क सदस्य को रोजगार मुहैया कराएगी या इस निधि में 5,000 रुपये प्रति बालक/बालिका की दर से अंशदान करेंगी।

• बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 14 (ख) के अनुसार समुदित सरकार को प्रत्येक जिले अथवा दो या दो से अधिक जिलों में बाल और किशोर श्रम पुनर्वास निधि की स्थापना करनी होगी। सरकार द्वारा इस निधि में प्रत्येक बाल/ किशोर श्रमिक के संबंध में जुर्माने की रकम और 15,000 रुपये की अतिरिक्त रकम जमा की जाएगी। जमा की गई रकम और उससे उपथित आय को बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) केंद्रीय नियमावली के अनुसार उस बालक / किशोर को दिया जाएगा।

खंड 9 : मॉनिटरिंग

बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों को लागू करने की मॉनिटरिंग, मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यापक मॉनिटरिंग तंत्र और बाह्य स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा की जाएगी, ताकि कानून को सख्ती से लागू किया जा सके।

जिला स्तर पर जिला नोडल अधिकारी-

- बाल श्रम के सभी मामलों के विवरण पेंसिल पोर्टल में डालना और उन पर नजर रखना।
- बचाव को मॉनिटर करना और पेंसिल पर प्रथम कार्य रिपोर्ट और द्वितीय कार्य रिपोर्ट के रूप में रिपोर्ट डालना।
- शैक्षिक पुनःस्थापन की मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक बाल/ किशोर का सूचक कार्ड तैयार करना।
- यह सुनिश्चित करना कि जिला कार्यबल (डीटीएफ) की बैठकें नियमित रूप से होती हैं।

राज्य स्तर पर राज्य संसाधन केंद्र-

- एनसीएलपी द्वारा किए गए व्यय को मॉनिटर करना।
- बचाव के वित्तीय प्रभावों को मॉनिटर करना।
- राज्य के स्तर पर किए जाने वाले निरीक्षण, उल्लंघन अभियोजन, दोषसिद्धि को मॉनिटर करना।
- बाल और किशोर पुनर्वास निधि को मॉनिटर करना और केंद्र सरकार को डेटा उपलब्ध कराना।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा भी बाल श्रम संबंधी नीति के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग की जाती है।

विभिन्न प्राधिकारी एवं उनके कार्य

क. जिला नोडल अधिकारी

क्रम संख्या	कार्य
निवारण	
1.	जिला कार्यबल (डीटीएफ) की मासिक बैठके सुनिश्चित करना।
2.	मासिक बैठके में जिले के निवारण संबंधी क्रियाकलापों की प्रगति प्रस्तुत करना।
3.	पेंसिल पोर्टल के माध्यम से राज्य संसाधन केन्द्र के साथ जिले के निवारण संबंधी क्रियाकलापों के विवरण साझा करना
पहचान	
1.	अन्य माध्यमों (अर्थात टेलीफोन कॉल, ई-मेल, चाइल्ड लाइन, स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों के संबंध में स्कूल आदि के माध्यम) से प्राप्त सभी शिकायतों को तत्काल पेंसिल पोर्टल पर डालना।
2.	बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियमावली के नियम 17घ के अनुसार नियमित रूप से निरीक्षण करना।
3.	किशोरों को गैर-खतरनाक कार्यों में नियोजित करने के लिए अधिनियम और नियमावली में उल्लिखित एवं इस मानक प्रचालन प्रक्रिया में दोहराए गए मापदंडों के सख्ती से अनुपालन को मॉनिटर करना।
4.	विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का सत्यापन करना और यह पहचान करना कि क्या • बालक को काम पर लगाया गया है या • किशोर को खतरनाक कार्य में लगाया गया है या • किशोर के नियोजन के लिए विनियमों का पालन नहीं किया गया है।
5.	बाल श्रमिक या खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिक से संबंधित सत्यापित शिकायत को स्थानीय पुलिस स्टेशन / एसजेपीयू में दर्ज कराना।
6.	सभी शिकायतों पर कार्रवाई करना एवं शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटे के अंदर प्रथम कार्य रिपोर्ट (एफए. आर.) को पेंसिल पोर्टल पर डालना।
7.	जिले में बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण और पहचान के लिए जिला कार्यबल (डीटीएफ) के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना और तदनुसार कार्य-योजना तैयार करना।
8.	राज्य संसाधन केंद्र को जिला कार्यबल (डीटीएफ) की कार्य-योजना और कार्यवृत्त पेंसिल पोर्टल के माध्यम से अपलोड करना

बचाव से पहले की तैयारी	
1.	यह सुनिश्चित करें कि पुलिस के पास दर्ज सभी शिकायतों के संबंध में एफआईआर दायर की जाए। यदि पीड़ित के जीवन या स्वतंत्रता के लिए कोई खतरा हो, तो पुलिस के साथ समन्वय करके तत्काल उसका बचाव सुनिश्चित करें।
2.	मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार छुड़ाए गए प्रत्येक बाल श्रमिक के बचाव हेतु आवश्यक संसाधनों की सुविधा उपलब्ध कराएं, जिसमें संभार तंत्र संसाधन, परिवहन, बचाव टीम के सदस्य, बच्चे के घर आदि को सूचित करने जैसी बातें शामिल हैं।
3.	बचाव के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।
बचाव	
1.	यह सुनिश्चित करें कि बचाव सभी सत्यापित शिकायतों या डीटीएफ की कार्ययोजना के अनुसार किया जाए।
2.	यह सुनिश्चित करें कि बचाव के दौरान पीड़ित को सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसमें परिवहन की सुविधाएं आरोपी पृथक रखने, अनुवादक/द्विवभाषीय, काउंसलिंग, चिकित्सा देखभाल आदि की व्यवस्था शामिल हो।
3.	आगे की कार्रवाई के लिए कंपनी फैक्ट्री आदि के पंजीकरण, लाइसेंस नंबर आदि जैसे विवरण एकत्र किए जाए।
4.	यह सुनिश्चित करे कि कोई भी पीड़ित अर्थात बाल किशोर श्रमिक उस स्थान पर रह न जाए।
बचाव के बाद की जाने वाली व्यवस्था	
1.	यदि बचाव से पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, वो एफआईआर दर्ज करना सुनिश्चित करें।
2.	छुड़ाए गए बालक या किशोर को छुड़ाए जाने के 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) के समक्ष पेश करें।
3.	जहां कहीं आवश्यक हो, आश्रय गृह (शेल्टर होम), तत्काल चिकित्सा देखभाल आदि की व्यवस्था करें।
पुनर्वास	
1.	जहां कहीं भी अपेक्षित हो, जिला कार्यबल (डीटीएफ) के साथ समन्वय करके बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) के आदेशों के अनुसार बालक या किशोर श्रमिक की घर वापसी की व्यवस्था करें।
2.	प्रत्येक बालक या किशोर का बैंक खाता खोलें और बच्चे के नाम में जमा रकम पर उपचित ब्याज को ऐसे बैंक खातों में प्रत्येक 6 माह में एक बार अतरित करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे या किशोर के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर बैंक खाते में मूल राशि के हस्तांतरण को भी सुनिश्चित करें।
3.	सूचक कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें और बाल खोजी प्रणाली (ट्रैकिंग सिस्टम) में

	बालक या किशोर श्रमिक को शामिल करें।
4.	मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के खंड 8 में बताए गए अनुसार पीड़ित को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मुआवजा देने के लिए सीडब्लूसी, एसएसए. एनसीएलपी परियोजना, जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि के साथ समन्वय करें।
5.	पहली शिकायत प्राप्त होने के 21 दिन के अंदर पेंसिल पोर्टल पर द्वितीय कार्य रिपोर्ट (एसएआर) डालें, जिसमें बचाव के विवरण, पुनर्वास और सूचक कार्ड जारी करने जैसी बातें शामिल हों।
अनुवर्ती कार्रवाई	
1.	यह सुनिश्चित करें कि छुड़ाए गए सभी बच्चे / किशोर विद्यालय या कौशल विकास कार्यक्रम में जाएं।
2.	घोषित मुआवजे सामाजिक पुनर्वास योजना आदि के प्राप्त होने पर अलग-अलग बच्चे के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करें।
3.	प्रत्येक विचारण की प्रगति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करें।
4.	अभियोजन की स्थिति सहित पेंसिल पोर्टल पर विधिक कार्य रिपोर्ट डालें।

ख. पुलिस/विशेष किशोर पुलिस अधिकारी

क्रम संख्या	कार्य
निवारण	
1.	विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) के किसी अधिकारी को जिला कार्यबल की मासिक बैठक में भाग लेना होता है।
2.	एसजेपीयू को श्रम विभाग और जिला कार्यबल (डीटीएफ) के साथ जिलें में बाल श्रम संबंधी क्रियाकलापों के निवारण में शामिल होना होता है।
पहचान	
1.	बाल श्रमिक और खतरनाक कार्य में लगे किशोर श्रमिक के मामलों से संबंधित आसूचना एकत्र करने के लिए या आपके क्षेत्र में किसी अन्य संरक्षण कानून का उल्लंघन करने के मामलों की अग्रलक्षी जांच करनी होती है।
2.	बाल श्रम से संबंधित संभावित अपराधों का पता लगाने के लिए अवैध व्यापारियों, दलालों, ऐजंटों, मुखबिरों आदि पर डेटाबेस तैयार करना।
3.	खोए हुए बच्चों के डेटाबेस से एकत्र की गई सूचना का विश्लेषण करें।
4.	पारगमन बिंदु और गंतव्य क्षेत्रों में कार्यरत स्टेकहोल्डरों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ सशक्त नेटवर्क तैयार करें।
5.	अपने जिले में बाल श्रम समाप्त करने के लिए जिला कार्यबल (डीटीएफ) के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार करे। जिला नोडल अधिकारी (सीएनओ) के साथ समन्वय करके इस कार्य योजना मासिक प्रगति को मॉनिटर करें।
6.	जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ), चाइल्ड लाईन और अन्य स्त्रोतों से प्राप्त शिकायतों को दर्ज करें।
बचाव से पहले तैयार की जाने वाली योजना	
1.	बाल श्रम से संबंधित शिकायतों के संबंध में एफआईआर करना सुनिश्चित करें। यदि पीड़ित के जीवन या स्वतंत्रता को काई खतरा हो, तो जिला नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करके उनका तत्काल बचाव सुनिश्चित करें।
2.	जिला नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करके व्यापक बचाव टीम गठित करें।
3.	पीड़ित अर्थात बाल/किशोर श्रमिकों भाषा संबंधी समस्या के समाधान के लिए संसाधन सुनिश्चित करें (अर्थात अनुवादक/द्विभाषीया की व्यवस्था करने के लिए डीएनओ, डीसीपीयू, या डीएलएसए से सम्पर्क करें)। जिला नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करके भोजन, वस्त्र, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशामक, वाहनों आदि तत्काल व्यवस्था करें।
4.	बचाव के स्थान से एकत्र किए जाने वाले सभी साक्ष्यों को तैयार करना सुनिश्चित करें और फोटोग्राफ/वीडियो ग्राफर की सेवाएं लें।

5.	बचाव कार्य की गोपनीयता सुनिश्चित करें।
बचाय	
1.	उस कारखाने आदि को चलाने वाले जिम्मेदार मालिक/ प्रबंधक की उपस्थिति सुनिश्चित करें
2.	यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित अर्थात बाल/ किशोर श्रमिक को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। पीडित और आरोपी को तत्काल पृथक किया जाए।
3.	उस स्थान की पूरी खोजबीन भली-भांति सुनिश्चित करे ताकि कोई बालक या किशोर यहां रह न जाए।
4.	उचित प्रलेखन सहित साक्ष्य एकत्र करें।
5.	एफआईआर में शामिल करने के लिए संगत कानूनों का उल्लेख करे और यह सुनिश्चित करें कि एफआईआर तत्काल दर्ज की जाए।
बचाव के बाद की जाने वाली व्यवस्था	
1.	पीड़ित अर्थात बाल / किशोर अमिक को स्थिति के बारे में बताएं।
2.	यह सुनिश्चित करें कि विधिक सेवा प्राधिकारी और विधिव्यवसायी (पैरालीगल) स्वयं सेवकों को तत्काल शामिल किया जाए।
3.	यह सुनिश्चित करे कि उचित मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के बाद सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार पीड़ितों के बयान दर्ज किए जाए।
4.	बच्चे को 24 घंटे के अदर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करें और यदि अपेक्षित हो, तो जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि बीएलएसए, 1976 के अधीन मामला दर्ज किया जा सके।
5.	यह सुनिश्चित करें कि बाल कल्याण समिति के अनुदेशों के अनुसार छुड़ाए गए बालकों या किशोरों को बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) में या उपयुक्त व्यक्ति के पास या उपयुक्त संस्था में रखा जाए।
6.	पीड़ित (पीडितों) और गवाहों को अपेक्षित सुरक्षा प्रदान करें।
जांच	
1.	एफआईआर दर्ज करें और जहां कहीं संगत हो, लगातार अपराधों के लिए धाराएं लगाएं।
2.	सभी पीड़ितों और / या गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
3.	यह सुनिश्चित करे कि जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए और यथाशीघ्र आरोप-पत्र दाखिल किया जाए।
4.	लोक अभियोजक या मामला प्रस्तुत करने वाले वकील को मामले की जानकारी दें और सहायता प्रदान करें।

ग. जिला मजिस्ट्रेट

क्रम संख्या	कार्य
निवारण	
1.	जिला कार्यबल (डीटीएफ) का गठन करें और मासिक बैठकें सुनिश्चित करें। इस कार्य के लिए जिला नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करें।
2.	जिले में निवारण संबंधी क्रियाकलापों के लिए योजना तैयार करें और जिला कार्यबल की मासिक बैठक में इसकी प्रगति पर नजर रखें।
3.	बाल कलाकार और अन्य मनोरंजन में कार्यरत बच्चों को अनुमति दी जा सकती है। ऐसी अनुमति केवल 6 माह के लिए विधिमान्य होगी और यह अनुमति इस मानक प्रचालन प्रक्रिया के खंड 2.2ख और समय-समय पर इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अन्य दिशा निर्देशों पर आधारित होगी।
4.	यह सुनिश्चित करें कि बाल कलाकार की कमाई का 20 प्रतिशत बच्चे के नाम के बैंक खाते में अंतरित हो, जिसे वह 18 वर्ष का होने पर ही निकाल सकता है।
पहचान	
1.	जिले में बाल श्रमिकों तथा खतरनाक रोजगार में लगे किशोर/श्रमिकों के सर्वेक्षण तथा पहचान के लिए जिला कार्यबल (डीटीएफ) के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करें।
2.	पहचान के आधार पर यह सुनिश्चित करें कि जिला कार्यबल (डीटीएफ) द्वारा बालश्रम को समाप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए।
बचाव से पहले की तैयारी	
1.	यदि शिकायत के अनुसार पीड़ित के जीवन या स्वतंत्रता के लिए कोई खतरा हो, तो पुलिस और जिला नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करके उनका तत्काल बचाव सुनिश्चित करें।
2.	यह सुनिश्चित करें कि छुड़ाए गए प्रत्येक बाल श्रमिक के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध किए जाते हैं, जिनमें इस मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार संभारतंत्र संबंधी संसाधन, परिवहन, बचाव दल के सदस्य, बच्चे के घर को सूचित करना आदि भी शामिल है।
बचाव	
1.	यह सुनिश्चित करें कि सभी सत्यापित शिकायतों के आधार पर या जिला कार्यबल की कार्य-योजना के अनुसार बचाव किया जाए।
2.	यह सुनिश्चित करें कि बचाव के दौरान पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान की जाए और कोई भी पीड़ित उस स्थान पर रह न पाए।

बचाव के बाद की जाने वाली व्यवस्था	
1.	सभी संगत बाल संरक्षण कानूनों के अधीन बाल श्रम और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रम के सभी मामलों के संबंध में एफआईआर के पंजीकरण को मॉनिटर करें।
2.	यह सुनिश्चित करें कि सभी छुडाए गए बालको या किशोरों को बचान के 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाए।
3.	निम्नलिखित से संबंधित सभी मामलों को मॉनिटर करें और यह सुनिश्चित करें- • जहां कहीं आवश्यक हो, तत्काल चिकित्सा देखभाल मुहैया की जाए। • पीड़ित और आरोपी को तत्काल पृथक करें। • किसी भी बालक या किशोर को पूरी रात पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाए। • बच्चों की तत्काल देखभाल तथा दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास के लिए आश्रय गृह (शेल्टर होम), उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त सुविधा उपलब्ध हो। • जिस बच्चे को दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल (शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों) की आवश्यकता है, उसे वह उपलब्ध कराई जाए।
4.	समय पर संक्षिप्त विचारण करें तथा मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी करें, ताकि बीएलएसए. 1976 के अधीन अन्य प्रकार के मुआवजे मिल सकें।
5.	जिला कार्यबल के माध्यम से बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों के सभी मामलों की जांच की प्रगति को मॉनिटर करें।
6.	अपराधों के संबंध में समझौते (कम्पाउंडिंग) हेतु श्रम निरीक्षकों के साथ समन्वय सुनिश्चित करें।
पुनर्वास	
1.	जहां कहीं भी अपेक्षित हो, जिला कार्यबल के साथ समन्वय करके बाल कल्याण समिति के आदेशों के अनुसार पीड़ित बालक और किशोर की घर वापसी की व्यवस्था करें।
2.	मानक प्रचालन प्रक्रिया के खंड 8 में बताए गए मुआवजे सहित पीड़ित को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मुआवजा संबंधी पुनर्वास सेवाओं की प्राप्ति को मॉनिटर करें।

घ. राज्य संसाधन केंद्र / राज्य श्रम विभाग

क्रम संख्या	कार्य
निवारण	
1.	राज्य स्तरीय निवारण संबंधी क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना।
2.	प्रत्येक जिले के निवारण संबंधी क्रियाकलापों और एनसीएलपी सोसाइटी और जिला नोडल अधिकारी को निवारण के लिए आबंटित निधि के उपयोग को मॉनिटर करना।
3.	पेंसिल पोर्टल पर निवारण संबंधी सूचना डालना।
4.	मानक प्रचालन प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए एनसीएलपी स्टाफ, श्रम निरीक्षकों और जिला स्तरीय अन्य कार्यान्वयन अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना।
पहचान:	
1.	प्राप्त शिकायतों पर जिला नोडल अधिकारी द्वारा समय पर कार्रवाई करने को मॉनिटर करना (जिला नोडल अधिकारी को शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी) और आवश्यक कार्रवाई करना।
2.	राज्य में बाल श्रम सर्वेक्षण को मॉनिटर करना।
3.	इस मामले के संबंध में श्रम निरीक्षकों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों की योजना तैयार करना और उसके कार्यान्यन को मॉनिटर करना।
4.	जिला नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कार्य रिपोर्ट (एसएआर) को मॉनिटर करना
बचाव में सहायता	
	संभारतंत्र संबंधी सहायता तथा वाहनों आदि के लिए निधि के रूप में बाल श्रमिकों या खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों को छुड़ाने के लिए जिला नोडल अधिकारी और पुलिस को अपेक्षित सहयोग देना।
पुनर्वास	
1.	जिला नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कार्य रिपोर्ट (एसएआर) को मॉनिटर करना
2.	प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में बालक और किशोर श्रमिक निधि का गठन सुनिश्चित करना।
3.	पेंसिल पोर्टल पर तैयार किए गए बालक और किशोर श्रम निधि के संबंध में सूचना देना।
अनुवर्ती कार्रवाई	
1.	एनसीएलपी कार्यक्रम में छुड़ाए गए पीड़ित बच्चे की प्रगति को मॉनिटर करना।
2.	विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं के अधीन होने वाली प्राप्तियों और श्रम कानूनों तथा अन्य लागू किए गए केंद्रीय और राज्य कानूनों तथा योजनाओं के अधीन दिए जाने वाले मुआवजे को मॉनिटर करना।
3.	राज्य स्तर पर एकत्र किए गए डेटा के आधार पर बाल श्रम को समाप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार को परिवर्तनों के संबंध में सुझाव देना ।

ड. राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

क्रम संख्या	कार्य
निवारण	
1.	जिला कार्यबल (डीटीएफ) की मासिक बैठकों में भाग लें और अपराधियों के अभियोजन संबंधी चुनौतियों के बारे में अनेक स्टेकहोल्डरों को बताएं।
2.	निवारण संबंधी क्रियाकलाप के भाग के रूप में बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाकर सहयोग दें।
3.	जिला कार्यबल (डीटीएफ) के स्टेकहोल्डरों सहित क्षमता निर्माण की पहलों के अंग के रूप में बच्चों की सुरक्षा के प्रति कानूनी जागरूकता पैदा करने में राज्य संसाधन केंद्र और एनसीएलपी को सहयोग दें।
बचाव में सहयोग	
1.	यह सुनिश्चित करें कि बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों से संबंधित सभी मामलों में गठित बचाव टीम में एक वकील या विधि व्यवसायी (पैरालीगल) शामिल हो।
2.	बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों के मामले में एफआईआर दायर करने में सहयोग दें।
3	बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों के मामलों में कानूनी सहयोग और कानूनी परामर्श दें।
अभियोजन	
1.	बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों के मामलों में कानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराए।
2.	विचारण की प्रगति के संबंध में कानूनी कार्य रिपोर्ट (एलएआर) तैयार करने में जिला नोडल अधिकारी को सहयोग दें।

च. बाल कल्याण समिति

क्रम संख्या	कार्य
निवारण	
1.	जिला कार्यबल (डीटीएफ) की मासिक बैठकों में भाग लें और बाल श्रम और खतरनाक रोजगार में जुड़े किशोर श्रम को समाप्त करने के लिए तैयार की गई कार्य-योजना के कार्यान्वयन में सहयोग दें।
2.	यह सुनिश्चित करें कि बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों के बचाव टीम में एक सदस्य शामिल हो।
3.	यह सुनिश्चित करें कि बाल श्रमिकों और खतरनाक रोजगार में लगे किशोर श्रमिकों की तत्काल देखभाल की जाए और किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार उन्हें 24 घंटे के अंदर समिति के समक्ष पेश किया जाए।
पुनर्वास	
	बाल श्रम और खतरनाक रोजगार में जुड़े किशोर श्रम के सभी पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जिला नोडल अधिकारी के साथ सूचना का आदान-प्रदान करें।

छ. शिक्षा विभाग और विद्यालय

क्रम संख्या	कार्य
निवारण	
1.	सभी बच्चों का स्कूल में 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करें।
2.	विद्यालयों के पाठयक्रमों में बाल श्रम और बाल अधिकारों के बारे सामग्री सम्मिलित करें।
3.	बाल श्रमिक और किशोर श्रमिकों के मुद्दों भली-भांति समझने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करें। और बालक और किशोर श्रम अधिनियम तथा नियमावली और बाल संरक्षण संबंधी संस्थागत तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करे।
4.	जिला शिक्षा अधिकारी जिला कार्यबल (डीटीएफ) मासिक बैठकों में भाग लेना होगा और बाल श्रमिकों से संबंधित कार्य-योजना के कार्यान्वयन योगदान देना होगा।
पहचान	
	लगातार 30 दिन विद्यालय न आने बच्चों और ऐसे बाल कलाकारों, जो जिला प्रशासन को बिना बताए काम पर लगाए जा रहे हों, उनके बारे में अध्यापक द्वारा सूचना देनी होगी।
पुनर्वास	
	बाल श्रमिकों का सर्व शिक्षा अभियान के तहत नामांकन या पुनः एकीकरण सुनिश्चित करना।